

# फतेहगढ़



# पुलिस

### पाक्सो में दो युवकों को पांच साल की सजा



फतेहगढ़। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रेमशंकर ने दो युवकों को पाक्सो में दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। सुनौल अदालत के जज जस्टिस जी. जयदीप राणा सुनौल के अध्यक्षता में।

संवाददाता के एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 वर्षीय पुत्री 30 अक्टूबर 2018 को रात के समय दुकान गई थी। वहां से लौटते वकाल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां निवासी राजत पाल और आशीष पाल ने दुकान पर दखल डाला था। जबरदस्ती बाइक पर बैठकर दुकान पर आने पर भी नहीं छोड़ा था।

फतेहगढ़ के जज जयदीप राणा ने सुनौल एक्ट के अन्तर्गत प्रेमशंकर को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पाक्सो में दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

पुलिस ने सुनौल के जज जयदीप राणा के अध्यक्षता में प्रेमशंकर, विकास कटियार, अनुज कटियार के खिलाफ पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रेमशंकर को दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

## पाक्सो एक्ट में दो को पांच वर्ष का कारावास

फतेहगढ़, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रेमशंकर की अदालत ने पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही जुर्माना भी सुनाया है।

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने 31 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि 16 वर्षीय बेटी दुकान पर दखल लेने गयी थी। रास्ते में पुत्री को रोक लिया गया और बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर ले गये। शोर मचाते

इसलिए मुंह दबा दिया। उसके कुं डल भी उतार लिये गये। घर वापस आने पर पुत्री ने पूरी बात बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अनुज कटियार, विकास कटियार ने अभियोजन की तरफ से पैरवी की। न्यायालय ने दोष सिद्ध राजत पाल और आशीष पाल को पाक्सो अधिनियम में पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास और बीस बीस हजार जुर्माना से दंडित किया है।

## मीडिया सेल

# फतेहगढ़



# पुलिस

## मारपीट में दो दोषियों को पांच साल का कारावास

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : किशोरी से मारपीट व छेड़छाड़ करने के आरोप में चार वर्ष पूर्व दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इस मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रेमशंकर ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री दुकान से दाल लेने गयी थी। घर वापस न आने पर खोजबीन की, तो पता चला कि मोहल्ला दूल्हे सराय धर्मशाला गढ़ी अशरफ अली निवासी रजत पाल व आशीष पाल ने उससे

अभद्रता की और अपने साथ ले गए। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रदीप सिंह, अनुज कटियार, विकास कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त रजत व आशीष को पाक्सो अधिनियम में पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। मारपीट करने में एक वर्ष की कैद के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतने का आदेश है। पाक्सो

अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता का आवेदन तैयार कराए और पीड़िता का पुनर्वास कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 30 दिन के अंदर लाभ दिलाए जाने को कहा गया है।

## मीडिया सेल